तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 22/2022	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
23/02/22	प्रभावती देवी पत्नी वादिगण उनु. । न्यायालय समक्ष ... मे आवाज लगाई वादी वादिगण उनका वादीगण स्वयं उपस्थित नही हुए। अतः वादीगण का वाद-पत्र अस्वीकार होने, अस्वीकार पैरवी मे खारिज किया जाता है प्रभावती फैसला शुमार होकर अभिलेख मे दफ्न हो। (बीनू देवरा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (राज.)	किश्तलोत द्वारा सेवामें 1. 2.